

रफटॉप सोलर के साथ, हर किरण आपके पैसे बचाती है - और धरती को भी!

₹88,000* /- तक उपभोक्ता सरकारी सब्सिडी प्राप्त करें + 5 वर्षों के लिए जनरेशन आधारित प्रोत्साहन भी

बीएसईएस के साथ एक उज्वल, हरित भविष्य को अंगीकार करें। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सोलर को अपनाना अब और भी आकर्षक हो गया है। टिकाऊ ऊर्जा स्रोत को अपनाने और अच्छी आर्थिक बचत करने का यह सर्वोत्तम समय है। अपने कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने और एक अधिक स्वस्थ धरती के लिए कुछ करने के अवसर को जाया न करें। बीएसईएस के साथ सौर ऊर्जा को अपनाएं, आज ही! (आकर्षक सब्सिडी और जीबीआई स्कीम्स के साथ)

लाभ

- प्रति किलावाट प्रति माह ~ 100-120 यूनिट बिजली का उत्पादन करें
- इस बदलाव को और अधिक किफायती बनाने के लिए आकर्षक सब्सिडी (केन्द्र व राज्य सरकार) प्राप्त करें
- बीवाईपीएल को सरप्लस बिजली बेचकर अतिरिक्त वार्षिक आय अर्जित करें
- पांच साल तक उत्पादन आधारित इंसेंटिव (जीबीआई) प्राप्त करें (व्यावसायिक सहित)
- ~ 4-5 वर्षों की त्वरित पेबैक अवधि
- दिल्ली को और हरा-भरा बनायें तथा प्रदूषण से लड़ने में अपना योगदान दें



पूँजी सब्सिडी:

केंद्रीय वित्तीय सहायता(सब्सिडी) पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत		राज्य पूँजी सब्सिडी दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत	
उपभोक्ता का प्रकार	सब्सिडी राशि (₹/kWp):	उपभोक्ता का प्रकार	सब्सिडी राशि (₹/kWp):
रेजिडेंशियल: 2 kW तक	30,000	रेजिडेंशियल: 5 kW तक	2,000
रेजिडेंशियल: 2 kW और 3 kW के बीच	18,000	रेजिडेंशियल: 5 kW से अधिक	कोई अतिरिक्त सब्सिडी नहीं
रेजिडेंशियल: 3 kW से अधिक	कोई अतिरिक्त सब्सिडी नहीं	जीएचएस/आरडब्ल्यू [^]	लागू नहीं
जीएचएस/आरडब्ल्यू [^]	18,000		

नेट मीटरिंग इंस्टालेशन के बाद फर्स्ट टाइम पूँजी सब्सिडी

* पीएम सूर्य घर के मामले में अधिकतम सब्सिडी राशि 78,000 और राज्य से 10,000

[^] ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज/रेजिडेंशियल वेलफेयर असोसिएशन जीएचएस/आरडब्ल्यू आदि में 500 kWp तक के ईवी चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (@3 kWp प्रति घर)

दिल्ली सौर उर्जा नीति 2023 के अनुसार उत्पादन आधारित इंसेंटिव (जीबीआई):

उपभोक्ता की श्रेणी	मासिक जीबीआई (₹ प्रति kWh)	
रेजिडेंशियल: 3 kWp तक	3	* नीति के परिचालन-अवधि अर्थात 14 मार्च 2022 से 13 मार्च 2027 तक के दौरान स्थापित सौर सिस्टम स्थापना की तारीख से पांच साल के लिए लागू [^] ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज/रेजिडेंशियल वेलफेयर असोसिएशंस आदि 500 किलोवाट तक (10 किलोवाट प्रति घर) * नियम व शर्तें लागू
रेजिडेंशियल: 3 kWp से अधिक और 10 kWp तक	2	
जीएचएस/आरडब्ल्यू [^]	2	
व्यावसायिक व औद्योगिक (पहले 200 MW परिनियोजित/डिप्लॉइड)	1	

उपयोगी लिंक्स

पीएम सूर्यघर पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए लिंक
<https://pmsuryaghar.gov.in>

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड में नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करने के लिए डिस्कॉम का पोर्टल
<https://bsesdelhi.com/web/bypl/renewable-energy>

राज्य पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए लिंक
<https://solar.delhi.gov.in>

हमसे संपर्क करें:

हेल्प डेस्क: सौर उर्जा संबंधी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द इसके समाधान की हर संभव कोशिश करेंगे।

- ✉ netmetering.bypl@relianceada.com टोल फ्री नंबर 19122 (एक्सटेंशन: 9)
- 🌐 www.bsesdelhi.com टेलीफोन 011-41247068
- ☎ सोलर मिस्ड कॉल सुविधा - 98716 08800

फीडबैक अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़ूमा, दिल्ली-110032
सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525, फ़ोन: 11-4124-7111/4124-9273, ईमेल: bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं



टोल फ्री 24x7
19122

एसएमएस
5616108

बिजली चोरी संबंधी
858892156
बिजली गुल की शिकायत
8745999808

स्ट्रीटलाइट
41999808